

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 713-वि.स.-विधान-2014.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०१४

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०१४

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१४ है.

वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिये राज्य की संचित निधि में से ७०,७१,७३,२१,६०० रूपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग सात हजार इकहत्तर करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार छः सौ रुपये होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व ०	२,२३,९४,२९,०००	२,२३,९४,२९,०००
०१.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व पूंजी ५४,६८,८८,३०० ५,००,००,१००	१,६०,००० ०	५४,७०,४८,३०० ५,००,००,०००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २,२२,८७,३००	०	२,२२,८७,३००
०३.	पुलिस	राजस्व पूंजी ४९,३२,००,००० ७२,८४,००,०००	० ०	४९,३२,००,००० ७२,८४,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय			
	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
०५.	जेल			
	राजस्व	२,९६,१५,०००	०	२,९६,१५,०००
०६.	वित्त			
	राजस्व	७,५०,०००	०	७,५०,०००
०७.	वाणिज्यिक कर			
	राजस्व	५१,११,७६,९००	०	५१,११,७६,९००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन			
	राजस्व	३,५५,५०,०००	३,००,०००	३,५८,५०,०००
१०.	वन			
	राजस्व	५३,११,००,६००	७,७५,६९,०००	६०,८६,६९,६००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार			
	राजस्व	४५,७२,५३,०००	०	४५,७२,५३,०००
	पूंजी	१५,००,०००	०	१५,००,०००
१२.	ऊर्जा			
	राजस्व	१२,५०,००,००,०००	०	१२,५०,००,००,०००
	पूंजी	९३,९३,००,०००	०	९३,९३,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास			
	राजस्व	६९,६५,७७,२००	०	६९,६५,७७,२००
१४.	पशुपालन			
	राजस्व	८,८०,८६,०००	०	८,८०,८६,०००
	पूंजी	३,००,००,०००	०	३,००,००,०००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता			
	राजस्व	१०,४२,३७,०००	०	१०,४२,३७,०००
	पूंजी	५,६४,०२,०००	०	५,६४,०२,०००
१६.	मछली पालन			
	राजस्व	२,००,१००	३,००,०००	५,००,१००
१७.	सहकारिता			
	राजस्व	२७,१५,१००	०	२७,१५,१००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
१८. श्रम	राजस्व	७,९४,२६,०००	०
			७,९४,२६,०००
१९. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	३,९७,१२,०००	०
			३,९७,१२,०००
२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	१,६०,००,०००	०
			१,६०,००,०००
२१. आवास एवं पर्यावरण	राजस्व	६,५०,००,०००	०
	पूंजी	३२,५१,०००	०
			३२,५१,०००
२२. नगरीय प्रशासन एवं विकास- नगरीय निकाय	राजस्व	३६,१५,००,०००	०
२३. जल संसाधन	पूंजी	२,००,००,००,४००	०
			२,००,००,००,४००
२४. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	३,३५,३४,००,५००	०
२५. खनिज साधन	राजस्व	१००	१,४१,३४,००,०००
			१,४१,३४,००,१००
२६. संस्कृति	राजस्व	३,१७,००,०००	०
	पूंजी	१,२०,००,०००	०
			१,२०,००,०००
२७. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	७५,००,००,०००	०
२९. विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१०,२६,००,०००	०
३२. जनसंपर्क	राजस्व	१६,२०,००,०००	०
३३. आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१२,९०,२००	०
			१२,९०,२००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	२०,६५,००,०००	०	२०,६५,००,०००
३६.	परिवहन	राजस्व	२,२५,००,१००	०	२,२५,००,१००
		पूंजी	१२,००,००,०००	०	१२,००,००,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व	६९,००,०००	०	६९,००,०००
		पूंजी	४५,६५,६४,०००	०	४५,६५,६४,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	४,०७,००,८४,०००	०	४,०७,००,८४,०००
		पूंजी	१,५६,००,००,०००	०	१,५६,००,००,०००
४०.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	राजस्व	८००	०	८००
		पूंजी	५०,००,००,०००	०	५०,००,००,०००
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	६८,५८,७५,३००	०	६८,५८,७५,३००
		पूंजी	४४,४८,८०,३००	०	४४,४८,८०,३००
४३.	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	२०,५८,७०,०००	०	२०,५८,७०,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	७,७२,००,०००	०	७,७२,००,०००
		पूंजी	२,४८,००,०९,३००	०	२,४८,००,०९,३००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	२५,३९,९०,०००	०	२५,३९,९०,०००
		पूंजी	३२,००,००,०००	०	३२,००,००,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	राजस्व	८,६२,००,१००	०	८,६२,००,१००
		पूंजी	१,२४,५२,००,०००	०	१,२४,५२,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	राजस्व	१२,३५,०००	०	१२,३५,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	१७,३८,७५,१००	०	१७,३८,७५,१००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	३६,५१,६५,०००	०	३६,५१,६५,०००
		पूंजी	७,७५,५१,०००	०	७,७५,५१,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	६५,९५,४०,०००	०	६५,९५,४०,०००
		पूंजी	१,७६,४०,२०,०००	०	१,७६,४०,२०,०००
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	६,००,००,००,०००	०	६,००,००,००,०००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	२००	०	२,००
		पूंजी	२,०५,९४,००,०००	०	२,०५,९४,००,०००
६३.	अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	२,३०,००,०००	०	२,३०,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	८६,६०,५६,१००	०	८६,६०,५६,१००
		पूंजी	२,००,३२,२७,३००	०	२,००,३२,२७,३००
६५.	विमानन	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,४०,८९,००,०००	०	१,४०,८९,००,०००
		पूंजी	८,८२,१८,०००	०	८,८२,१८,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	२५,००,००,०००	०	२५,००,००,०००
		पूंजी	१००	०	१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
६९.	सूचना प्रौद्योगिकी	राजस्व पूंजी	५,३९,००,००० ७,५०,००,०००	० ०	५,३९,००,००० ७,५०,००,०००
७२.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	राजस्व	२,३०,२९,०००	०	२,३०,२९,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व पूंजी	६९,१५,००,००० ५०,००,०००	० ०	६९,१५,००,००० ५०,००,०००
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व पूंजी	८,३३,५१,४१,००० २१,८५,५३,०००	० ०	८,३३,५१,४१,००० २१,८५,५३,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	१,९१,१२,६०,०००	७५,००,००,०००	२,६६,१२,६०,०००
७६.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	राजस्व	२४,२५,००,०००	०	२४,२५,००,०००
७७.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	१,३३,४२,००,१००	०	१,३३,४२,००,१००
योग :		{ राजस्व पूंजी	४८,९९,७६,८७,१०० १७,२३,८४,७६,५००	४,४८,११,५८,००० ०	५३,४७,८८,४५,१०० १७,२३,८४,७६,५००
वृहद योग :			६६,२३,६१,६३,६००	४,४८,११,५८,०००	७०,७१,७३,२१,६००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१३-२०१४ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : ८ जनवरी, २०१४

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशासित.”

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.